न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 225/2026

28.04.2026

आवेदक **राजेश कुमार राय** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **जमालपुर थाना काण्ड संख्या 104/2018** अन्तर्गत **धारा 341, 323, 498/34 भा0 द0 वि0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी कुमार वर्मा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि परिवादिनी की शादी दिनांक 08.07.1997 को अभियुक्त संख्या 01 राजेश कुमार राय के साथ हिन्दु रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। शादी के समय परिवादिनी के पिता ने सामान, जेवर एवं एक लाख रूपये उपहार नगद ससुराल वाले को दिया। शादी के बाद परिवादिनी अपने ससुराल बेकारपुर आयी। यह कि, परिवादिनी के ससुराल में बहुभोज हुआ उसी दिन से अभियुक्त संख्या 1, 2, 3 एवं 4 ने परिवादिनी के माता–पिता के नाम से गाली देकर कहने लगा कि मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया है ठग लिया है, जब तक टी. वी. एवं मोटर साइकिल मांग कर नहीं लाओगी, तो जीना मुश्किल कर देंगे। परिवादिनी के पिता ने परिवादिनी के ससुराल वालों को टी. वी. और मोटर साइकिल दिया। तब ससुराल वालों ने एक लाख रूपया का मांग करना शुरू कर दिया। यह कि, दिनांक 16.04.1998 को परिवादिनी ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मनीषा कुमारी है। जब एक लाख रूपया परिवादिनी के पिता ने नहीं दिया तो परिवादिनी की पुत्री को छीन कर घरर से भगा दिया। फिर प्रशासन की मदद से पुत्री को वापस किया। यह कि, परिवादिनी ने इस मुकदमा के पूर्व में भी सभी अभियुक्त पर मुकदमा किया था जो दोनों पक्षों में सुलह हो गया और कहा कि प्रताडित नहीं करूँगा, दहेज की मॉग नहीं करूँगा। यह कि, परिवादिनी सुलह के बाद हैदराबाद सभी अभियुक्त के साथ चली गई वहॉ भी शारीरिक एवं मानसिक प्रताडना करता था। फिर अभियुक्त संख्या 1 ने परिवादिनी को सूर्यगढ़ा ले आया वहॉ भी परिवादिनी के साथ मारपीट किया और भगा दिया। अभियुक्त संख्या 1 ने झूठा दीवानी मुकदमा संख्या 22/09 कर दिया। उस केस में परिवादिनी से समझौता आवेदन पर हस्ताक्षर करा कर केस खत्म करवा लिया। उसी प्रकार अभियुक्त संख्या 1 परिवादिनी को जयगॉव जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल ले गया वहॉ भी सभी अभियुक्त मिलकर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देना शुरू किया। यह कि, परिवादिनी को अभियुक्त संख्या 1 ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड जहानाबाद में नौकरी करते थे। जहानाबाद भी परिवादिनी को ले गया वहॉ भी मारपीट मेरी बेटी मनीषा के साथ भी किया। यह कि, परिवादिनी

28.04.26

लगातार

28.04.2026

को जमुई भी ले गया। अभियुक्त संख्या 1 जमुई में कनीय विद्युत अभियंता { राजस्व } में कार्यरत हैं दिनांक 10.02.2017 को परिवादिनी एवं परिवादिनी की बेटी मनीषा के साथ मारपीट किया और किरासन तेल छिड़क कर परिवादिनी एवं परिवादिनी के बेटी मनिषा को जान से मारने का प्रयास किया। परिवादिनी किसी तरह भाग कर अपना मायका जमालपुर आयी तो वहाँ सारी बात भाई को बताया तो जमालपुर थाना गई केस करने के लिए तो दरोगा जी बोले की तुम्हारा लंबा–चौड़ा इतिहास है, जाओ तुम कोर्ट में केस करो।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह कि अभियोजन का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। यह कि, वादिनी ने श्रीमान् सी. जे. एम., मुंगेर के समक्ष परिवाद संख्या 146 सी/2017 दाखिल किया जो द0 प्र0 स0 के धारा 156 { 3 } के अन्तर्गत जमालपुर थाना काण्ड संख्या 104/2018 दर्ज हुआ है। यह कि, वादिनी का आरोप है कि वादिनी का विवाह दिनांक 08.07.1997 को प्रार्थी राजेश कुमार के साथ हुई और शादी में ससुराल वालों के द्वारा एक लाख रूपया सामान, जेवर दिया और बाद में टी. वी. मोटर साइकिल और 10,000/– रूपया की मॉग ससुराल वालों ने किया। आगे यह भी कही कि इस दौरान कई मुकदमा हुआ और सुलह हो गया। यह कि, सुलह के बाद हैदराबाद प्रार्थीगण ले गया बाद में सूर्यगढा ले गया जहॉ भी मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दिया। यह कि, आगे यह भी आरोप लगायी कि मेट्रिमोनियल 22/2009 कर दिया और समझौता कराकर जलपाईगुड़ी बंगाल ले गया सभी मिलकर शारीरिक और मानिसक प्रताड़ना शुरू किया आगे यह भी कहा कि दिनांक 20.02.2017 को वादिनी और पुत्री को मारपीट किया। यह कि, पूर्व में प्रार्थी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन 341/2019 दायर किया गया था जो श्रीमान् के द्वारा खारिज किया गया। उक्त जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के समक्ष और न ही मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। यह कि, प्रार्थी के खिलाफ एक नालसी वाद संख्या 286 सी/2012 दर्ज है, जो समाप्त हो गया है। यह कि, प्रार्थी निर्दोष है एवं उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। यह कि, अभियोजन का संपूर्ण केस झूठा एवं बनावटी है। यह कि, इस वाद के सूचिका बराबर झगडा झंझट कर अपने मायके भाग जाती है। यह कि, इस वाद के सूचिका के व्यवहार से प्रार्थी काफी मानसिक परेशानी में रहते हैं। यह कि, इस वाद के अनुसंधानकर्ता द्वारा धारा 41 { 1 } द0 प्र0 स0 का लाभ देते हुए आरोप पत्र समर्पित किया है। यह कि, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2019 को धारा 341, 323, 498/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। यह कि, प्रार्थी वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। यह कि, प्रार्थी श्रीमान् के निर्देशानुसार बंधपत्र देने को तैयार है। अतः, श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी को अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने की कृपा की जाय।

<u>न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय</u>

<u>व्यवहार न्यायालय, मुंगेर</u>

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 225 / 2026</u>

<u>जमानत आदेश दिनांक 28.04.2026</u>

लगातार

28.04.2026

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि जमालपुर थाना काण्ड संख्या 104 / 2018 में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण राजेश कुमार राय, सुनील कुमार राय, सरोजिनी देवी और बुद्धो उर्फ राजकुमार राय तथा पूनम देवी के द्वारा अन्तर्गत धारा 341, 323, 498 / 34 भा0 द0 वि0 के तहत संज्ञान लिया जा चुका है और धारा 498 जमानतीय धारा है। ऐसी स्थिति में, जमानतीय धारा होने के कारण अग्रिम जमानत का कोई आधार न्यायालय में नहीं बनता है।

ऐसी स्थिति में, अभियुक्त राजेश कुमार के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेजे।

order with T.C.R send back. 04.5.26

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 28.04.2026